नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

उप विकास आयुक्त,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

बिहार सरकार

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण

(आत्मा कार्यालय)

कृषि उन्नती योजना अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के कार्यान्वियन हेतु जिला स्तर पर लेखापाल के एकल रिक्त पद पर पूर्णतः अस्थाई संविदा के आधार पर नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रण हेतु सूचना :–

क्र0 स0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनिवार्य योग्यता	कार्य अनुभव	उम्र	नियत मानदेय (रुपया में)
01	02	03	04	05	06	07
1	लेखापाल (जिला स्तरीय आत्मा योजना)	1	स्नातक, वाणिज्य (न्यूनतम. 50 % प्राप्तांक के साथ) एवं लेखा कार्य में 3 वर्ष का अनुभव	भारत / राज्य सरकार के अधीन सरकारी संस्थानों / संगठनों यथा ICAR/ KVK / आत्मा / कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशु विज्ञान, डेयरी, वाणिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय आदि में लेखा कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक –294, दिनांक–07.01.2016 के अनुरुप)	आत्मा मार्गदर्शिका 2025 के अनुसार आलोक में राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार

1. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **25 जून 2025** (उक्त तिथि के बाद आवेदन–पत्र स्वीकर नहीं होगा।)
2. नियोजन हेतु दक्षता परीक्षा / कार्यानुभव / साक्षात्कार की प्रक्रिया की तिथि **02 जुलाई 2025**
3. औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशन की तिथि **07 जुलाई 2025**
4. आपत्तियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि **08–09 जुलाई 2025**
5. आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची प्रकाशन की तिथि **10–11 जुलाई 2025**
6. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति तथा फोटो सहित 25 रु का डाक टिकट लगा हुआ अतिरिक्त लिफाफा के साथ – **कार्यालय, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), संयुक्त कृषि परिसर, छतौनी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, 845401 (बिहार)** के पते पर केवल निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता :–

- एकल पद होने के कारण पद अनारक्षित है।
- चयन प्रक्रिया–आवश्कता अनुसार शैक्षणिक योग्यता / दक्षता परीक्षा / कार्यानुभव / साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया का मापदंड जिला चयन समिति के स्तर से निर्धारित किया जायेगा।
- चयन में बिहार राज्य के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा।
- उम्र के सत्यापन हेतु मैट्रिक प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- अन्य बातें समान रहने पर अधिकतम आयु के अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।
- विज्ञापन के अनुसार सभी प्रमाणपत्रों / अंकपत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- संविदा पर नियोजन– संविदा पर नियोजन, योजना अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से जो पहले हो, तक के लिए किया जाएगा परंतु प्रत्येक वर्ष संविदा कर्मी के कार्यो की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के क्रम में यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसे कर्मी को कभी भी सेवाविमुक्त किया जा सकेगा।
- संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएँगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जाऐंगे। नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
- किसी भी कर्मी के उपर उनके पूर्व के संस्थानों / विभागों के द्वारा किसी प्रकार का आरोप / विभागीय कार्रवाई / न्यायालय द्वारा दंडित नहीं की गई हो से संबंधित शपथ–पत्र (पब्लिक नोटरी से शपथ कराकर) योगदान के समय कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरांत ही मानदेय / नियत वेतन देय होगा।
- एकरारनामा एवं नियोजन से संबंधित अन्य सभी शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1003 दिनांक 22.01.2021 के अनुरुप मान्य होगा।

आवेदन पत्र, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 10 जून 2025 से दिनांक 25 जून 2025 को संध्या 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा।

आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत विवरणी state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

परियोजना निदेशक (आत्मा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष (आत्मा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

PR- 005879 (Agriculture) 2025-26

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner